फर्द अहकाम

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी फागी, जिला जयपुर

वादी–बनवारी

प्रतिवादी–तहसीलदार फागी

केस संख्या :155/2017

वाद बाबत घोषणा एवं दुरूस्ती इन्द्राज

क्रम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
	01.05.2018	**–:निर्णय:–**	

आज यह पत्रावली 'न्याय आपके द्वार' राजस्व लोक अदालत कैम्प कोर्ट में पेश हुई।

वकील वादी उप0। तहसीलदार फागी की ओर से पैरोकार राज0 ने जवाब प्रस्तुत किया, शामिल पत्रावली किया गया।

वकील वादी ने निवेदन किया कि खसरा नंबर 266/2, 264/4, 1256/368, 264/6 ग्राम भांकरोटा, तहसील फागी, जिला जयपुर की आराजीयात में वादी का हक हिस्सा निहित है। आराजीयात के वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड में वादी का नाम बन्ना दर्ज रिकॉर्ड है जो गलत है जबकि वादी का सही नाम बनवारी है, जो राजस्व रिकॉर्ड में दुरूस्त किया जावे।

तहसीलदार फागी ने अपनी रिपोर्ट में यह तथ्य अंकित किये है कि वादी का विरासत में बनवारी लाल पुत्र बन्ना राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है जबकि वादी की आईडी पहचान पत्र, आधारकार्ड, राशनकार्ड व जाति प्रमाण पत्र में बनवारी लाल पुत्र सुवालाल है।

पक्षकारान को सुना गया। पत्रावली में उपलब्ध जमाबंदी, फोटोप्रति ग्राम पंचायत भांकरोटा प्रमाण पत्र दिनांकित 27.01.12 फोटोप्रति पहचान पत्र, आधारकार्ड, राशनकार्ड, रिपोर्ट तहसीलदार फागी, शपथ पत्र वादी इत्यादि का अवलोकन किया गया। बाद अवलोकन फोटोप्रति पहचान पत्र, आधारकार्ड, प्रमाण पत्र ग्राम पंचायत भांकरोटा, शपथ पत्र के आधार पर यह साबित पाया जाता है कि वादी का सही नाम बनवारी पुत्र सुवालाल है।

पत्रावली के संपूर्ण अवलोकन पश्चात वादी वाद स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः वादी वाद स्वीकार कर डिक्री किया जाकर खसरा नंबर 266/2, 264/4, 1256/368, 264/6 ग्राम भांकरोटा, तहसील फागी, जिला जयपुर के वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज इन्द्राज बन्ना पुत्र सुवा को हजफ किया जाकर इसके स्थान पर बनवारी पुत्र सुवालाल दर्ज किया जाता है। तहसीलदार फागी को निर्देशित किया जाता है कि वह निर्णयानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद करें। पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो।

निर्णय आज दिनांक 01.05.2018 को राजस्व लोक अदालत कैम्प कोर्ट भांकरोटा में सुनाया गया।

(सावन कुमार चायल)
उपखण्ड अधिकारी
फागी

Scanned by CamScanner